



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052021-226988
CG-DL-E-13052021-226988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1727]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13, 2021/वैशाख 23, 1943

No. 1727]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 2021/VAISAKHA 23, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2021

(आय-कर)

का.आ. 1854(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि अर्थात्, पब्लिक सैक्टर पेंशन इनवेस्टमेंट बोर्ड, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निर्धारिती" कहा गया है) को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व भारत में उसके द्वारा किए गए पात्र विनिधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनिधान" कहा गया है) के संबंध में, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :--

- (i) निर्धारिती, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि, जिसमें उक्त विनिधान किया गया है, और उस तारीख को, जिसको ऐसा विनिधान परिसमाप्त किया गया है, समाप्त होने वाली अवधि के अंतर्गत आने वाले सभी सुसंगत

- पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पूर्व आय की विवरणी फाइल करेगा।
- (ii) निर्धारिती ऐसी विवरणी के साथ वित्त वर्ष के दौरान, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के उपबंधों की अनुपालना के संबंध में आय-कर नियम, 1962 के नियम 2घख के खंड (vi) के उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखपाल से प्ररूप सं 10खखग में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (iii) निर्धारिती भारत में तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक विनिधान के संबंध में व्यौरों की सूचना तिमाही के दौरान तिमाही के अंत से एक मास के भीतर आय-कर नियम, 1962 के नियम 2घख के खंड (v) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप सं. 10 खखख में देगा;
- (iv) निर्धारिती, ऐसे विनिधानों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के अधीन छूट के लिए अर्हित हैं, के संबंध में आय और व्यय का खंडवार लेखा बनाए रखेगा।
- (v) निर्धारिती कनाडा सरकार की विधि के अधीन विनियमित होता रहेगा।
- (vi) निर्धारिती, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों या हिताधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, दिव्यांगता, मरणोत्तर प्रसुविधाएं या कोई समरूप प्रतिकर का उपबंध करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं की कानूनी बाध्यताओं और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी होगा;
- (vii) निर्धारिती द्वारा निर्देशित और निवेशित परिसंपत्तियों के कुल मूल्य का दस प्रतिशत से अधिक नहीं खंड (vi) में सूचीबद्ध उद्देश्य के अलावा प्रयोजनार्थ अनुमेय बशर्ते ऐसी परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कनाडा सरकार के स्वामित्व में हो और ऐसी परिसंपत्तियाँ विधरन पर कनाडा सरकार में निहित है।
- (viii) निर्धारिती के उपार्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं को और खंड (vi) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए किया जाए तथा पेंशन निधि के उपार्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति के किसी फायदा को भारत में विनिधान करने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए लिए गए ऋण या उधार [अधिनियम की धारा 10 के खंड 23चड के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित] के लिए लेनदारों या निक्षेपकर्ताओं को किए गए किसी संदाय को वर्जित करते हुए लागू नहीं होता है;
- (ix) खंड (vii) में संदर्भित आय तथा परिसंपत्तियों का उपयोग खंड (viii) में सूचीबद्ध उद्देश्य के अलावा प्रयोजनार्थ किया जा सकता है। बशर्ते उक्त आय को या तो कनाडा सरकार के खाते में जमा किया जाए अथवा सरकार द्वारा नामित किसी अन्य खाते में, ताकि अन्य निजी व्यक्ति को आय का कोई भी भाग लाभान्वित न कर सके।
- (x) निर्धारिती के पास भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऋण या उधार [अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (ii) के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित] नहीं होगा;
- (xi) निर्धारिती विनिधान प्राप्तकर्ता [अधिनियम की धारा 10 खंड 23चड) के स्पष्टीकरण-2 के खंड (i) में यथापरिभाषित] के दिन प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग नहीं लेगा परंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के पास विनिधान की संरक्षा करने के लिए मॉनीटरी तंत्र को, जिसमें निदेशकों या कार्यपालक निदेशक को नियुक्त करने के अधिकार सम्मिलित है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग लेना नहीं समझा जाएगा।

2. अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड) और इस अधिसूचना में यथा उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन निर्धारिती को कर छूट के लिए अपात्र ठहराएगा।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 64/2021/फा.सं. 370142/40/2020-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वाष्णैय, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May 2021

(INCOME-TAX)

S.O. 1854(E).—In exercise of powers conferred by sub-clause (iv) of clause (c) of the *Explanation 1* to clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43of 1961) (hereinafter referred to as the “Act”), the Central Government hereby specifies the pension fund, namely, the Public Sector Pension Investment Board, (hereinafter referred to as “the assessee”) as the specified person for the purposes of the said clause in respect of the eligible investment made by it in India on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette but on or before the 31st day of March, 2024 (hereinafter referred to as “said investments”) subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (i) the assessee shall file return of income, for all the relevant previous years falling within the period beginning from the date in which the said investment has been made and ending on the date on which such investment is liquidated, on or before the due date specified for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the Act;
- (ii) the assessee shall furnish along with such return a certificate in Form No. 10BBC in respect of compliance to the provisions of clause (23FE) of section 10, during the financial year, from an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act, as per the provisions of clause (vi) of rule 2DB of the Income-tax Rules,1962;
- (iii) the assessee shall intimate the details in respect of each investment made by it in India during the quarter within one month from the end of the quarter in Form No. 10BBB, as per the provisions of clause (v) of rule 2DB Income-tax Rules,1962;
- (iv) the assessee shall maintain a segmented account of income and expenditure in respect of such investment which qualifies for exemption under clause (23FE) of section 10 of the Act;
- (v) the assessee shall continue to be regulated under the law of the Government of Canada;
- (vi) the assessee shall be responsible for administering or investing the assets for meeting the statutory obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be;
- (vii) not more than ten per cent. of the total value of the assets administered or invested by the assessee are allowed for the purpose other than the purpose listed at clause (vi) provided such assets are wholly owned directly or indirectly by the Government of Canada and such assets vest in the Government of Canada upon dissolution;
- (viii) the earnings and assets of the assessee should be used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in clause (vi) and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person; barring any payment made to creditors or depositors for loan or borrowing [as defined in sub-clause (b) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act] taken for the purposes other than for making investment in India;
- (ix) the earnings from assets referred to in clause (vii) may be used for purpose other than the purpose listed as in clause (viii) provided that the said earnings are credited either to the account of Government of

Canada or any other account designated by such Government so that no portion of the earnings inures any benefit to any private person;

- (x) the assessee shall not have any loans or borrowings [as defined in sub-clause (b) of clause (ii) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act], directly or indirectly, for the purposes of making investment in India; and
 - (xi) the assessee shall not participate in the day to day operations of investee [as defined in clause (i) of *Explanation 2* to clause (23FE) of section 10 of the Act] but the monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director shall not be considered as participation in the day to day operations of the investee.
2. Violation of any of the conditions as stipulated in the said clause (23FE) of section 10 of the Act and this notification shall render the assessee ineligible for the tax exemption.
 3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 64/2021/ F. No. 370142/40/2020-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)